अध्याय - 5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है। वर्ष 2020-21 (अथवा पूर्व वर्षों के जिनको चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा संचालित इन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त शेयर पूंजी, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नि.म.ले.प. द्वारा नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम,1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. कंपनियों के लिए चार्टड एकाउन्टेंट को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार लेखों को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा

[1] कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) के सातवां आदेश 2014, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 नवम्बर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया।

के संचालन का अधिकार है। दिल्ली परिवहन निगम (एक सांविधिक निगम) को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखे केवल नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है जबकि दिल्ली वित्तीय निगम के लिए नि.म.ले.प. पूरक लेखापरीक्षा करता है।

5.3 रा.सा.क्षे.उ. तथा राज्य के स.रा.घ.उ. में उनका योगदान

5.3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम शामिल होते हैं। रा.सा.क्षे.उ. जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

31 मार्च 2021 को, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में दो[2] सांविधिक निगमों, सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी तथा 15 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे। 15 सरकारी कंपनियों में दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियां शामिल है, जो विगत तीन वर्षों से अधिक समय से कोई गतिविधियां नहीं कर रही है। इन रा.सा.क्षे.उ. का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया हैः

तालिका 5.1: रा.सा.क्षे.उ. की सूची

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम
सरकारी कंपनियां	
वित्त	
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त विकास निगम लिमिटेड (दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि,.)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (शा.पु.वि.नि.)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.)
ऊर्जा	
4.	इन्द्रप्रस्थ ऊर्जा जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.जे.कं.लि.)
5.	प्रगति ऊर्जा निगम लिमिटेड (प्र.पॉ.नि.लि.)
6.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.)
7.	दिल्ली ऊर्जा कंपनी लिमिटेड (दि.पॉ.कं.लि.)
सेवाएं	
8.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (दि.प.प.वि.नि.)
9.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (दि.रा.ना.आ.नि.लि.)
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जि.दि.लि.)
परिवहन	
11.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.अ.वि.नि.लि.)

[2] दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्षेत्र तथा नाम
सांविधिक निगम	
वित्त	
12.	दिल्ली वित्तीय निगम (दि.वि.नि.)
परिवहन	
13.	दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	
सेवाएं	
14.	इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टमस इंडिया लिमिटेड (इं.क.सि.इं.लि.-दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	
15.	दिल्ली क्रिएटिव आर्टस डेवेलपमेन्ट लिमिटेड (दि.क्रि.आ.डे.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
16.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. लीकर लिमिटेड (दि.लि.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
17.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड (दि.अ.से.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)
18.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड (दि.ए.लि. - दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक कंपनी)

5.3.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद **(स.रा.घ.उ.)** में रा.सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में रा.सा.क्षे.उ. की गतिविधियों को दर्शाता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का रा.सा.क्षे.उ. तथा स.रा.घ.उ. की कुल टर्नओवर का विवरण **तालिका 5.2 में दिए गए है।**

तालिका 5.2: रा.रा.क्षे.दि.स. के स.रा.घ.उ. की तुलना में रा.सा.क्षे.उ. के कुल टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
कुल टर्नओवर	9,318.69	9,573.56	11,505.87
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	7,50,961.61	8,30,872.49	7,98,309.81
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	1.24	1.15	1.44

स्रोतः टर्नओवर को रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लिया गया है तथा स.रा.घ.उ. को अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय से लिया गया है

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों के दौरान इन रा.सा.क्षे.उ. के कुल टर्नओवर में उनके नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 23.47 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई है। हालांकि स.रा.घ.उ. में रा.सा.क्षे.उ. का अंशदान नाम मात्र ही रहा।

5.4 रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.4.1 इक्विटी होल्डिंग तथा रा.सा.क्षे.उ. में ऋण

क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 31 मार्च 2021 को दिए गए ऋणों **(परिशिष्ट 5.2)** सहित दीर्घावधि ऋणों को **तालिका 5.3** में दिया गया है।

तालिका 5.3: 31 मार्च 2021 को रा.सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	कंपनियां/सांविधिक निगम	कुल निवेश *(₹ करोड़ में)*				
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		
		कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार	कुल इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण
ऊर्जा	कंपनियां	7,506.79	7,106.78	4,713.62	4,036.24	12,220.41
वित्त	कंपनी	50.00	38.12	68.24	68.24	118.24
	सांविधिक निगम	26.48	18.05	33.00	33.00	59.48
सेवा	कंपनियां	25.07	24.04	2.19	2.14	27.26
अवसंरचना	कंपनियां	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
परिवहन	कंपनी	10.65	10.65	0.00	0.00	10.65
	सांविधिक निगम	1,983.85	1,983.85	11,676.14	11,676.14	13659.99
कुल		**9,623.84**	**9,202.49**	**16,493.19**	**15,815.76**	**26,117.03**

स्रोतः 2020-21 का वित्तीय विवरण तथा रा.सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी (दीर्घावधि ऋणों में रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्तमान मेच्युरिटी शामिल है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रा.सा.क्षे.उ. में निवेश का जोर मुख्यतः परिवहन तथा ऊर्जा क्षेत्र पर था, जिससे ₹ 26,117.03 करोड़ के कुल निवेश का क्रमशः 52.34 *प्रतिशत* तथा 46.79 *प्रतिशत* प्राप्त हुआ। परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत सांविधिक निगम (दि.प.नि.) ने परिवहन क्षेत्र में कुल निवेश का 99.92 *प्रतिशत* प्राप्त किया।

5.4.2 रा.सा.क्षे.उ. को अनुदान एवं सब्सिडी

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए क्षेत्रवार कुल अनुदान और सब्सिडी **तालिका 5.4** में दी गई हैः

तालिक-5.4: रा.सा.क्षे.उ. में अनुदान/सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान एवं सब्डिसी		कुल
	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	
2018-19	1,969.82	41.23	2,011.05
2019-20	2,176.67	8.04	2,184.71
2020-21	2,761.56	0.00	2,761.56
कुल	**6,908.05**	**41.23**	**6,957.32**

स्रोतः रा.सा.क्षे.उ. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि रा.सा.क्षे.उ. को अनुदान और सब्सिडी के रूप में समर्थन मुख्यतः रा.रा.क्षे.दि.स. से अर्थात् 99.02 *प्रतिशत* प्राप्त हुआ था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.प.नि. को इसके संचालन के लिए ₹ 6,761.69 करोड़ (97.19 *प्रतिशत*) की राशि प्रदान की।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के विनिवेश/पुनर्गठन/निजीकरण का कोई मामला नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने रा.सा.क्षे.उ. में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति नहीं बनाई है।

5.5 रा.सा.क्षे.उ. से रिटर्न

5.5.1 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2019-20 की तरह, वर्ष 2020-21 में भी 10 लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ.[3] थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,809.65 करोड़ हो गया।

वर्ष 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष पांच रा.सा.क्षे.उ **(परिशिष्ट 5.1)** का विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5: शीर्ष पांच लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ.

रा.सा.क्षे.उ. का नाम	अर्जित निवल लाभ (*₹ करोड में*)	रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
प्र.पॉ.नि.लि.	1,562.16	55.60
दि.ट्रां.लि.	606.60	21.59
दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि.	219.09	7.80
इ.पा.जे.कं.लि.	190.93	6.80
दि.पॉ.कं.लि.	126.87	4.51
कुल	**2,705.65**	**96.30**

स्रोतः रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 2,705.65 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 96.30 *प्रतिशत* था, पांच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान किया गया था, जिनमें से अधिकतम लाभ अर्जित प्र.पॉ.नि.लि. ने किया।

5.5.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने लाभांश नीति तैयार की थी (17 अगस्त 2021) जिसके तहत रा.सा.क्षे.उ. को कर देने के बाद लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का पांच *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना होगा, जो वर्तमान कानूनी प्रावधान के तहत अधिकतम लाभांश के अनुसार अनुमत है। नौ रा.सा.क्षे.उ. जिसने लाभ अर्जित किया तथा जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, किसी ने भी वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

[3] दि.रा.औ.अ.वि.नि., प्र.पॉ.क.लि., इ.पा.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि., दि.पॉ.क.लि., इं.क.सि.इं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.प.वि.नि., जि.दि.लि., दि.प.अ.वि.नि.। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत एक रा.सा.क्षे.उ. (शा.पु.वि.नि.) गैर-लाभकारी कंपनी है।

5.6 ऋण सेवाएँ

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर देय ब्याज के लिए कंपनी की योग्यता निश्चित करने हेतु किया जाता है तथा इसकी गणना कंपनी के ब्याज एवं कर से पहले की आय (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज हेतु व्यय द्वारा विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज के भुगतान की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से कम का ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी अपने ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी।

ऐसे रा.सा.क्षे.उ., जिनमें ब्याज का भार था, के ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण **तालिका 5.6** में दिए गए है।

तालिका 5.6: रा.सा.क्षे.उ. को ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज देयता *(₹ करोड़ में)*	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) *(₹ करोड़ में)*	उन रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके ऊपर सरकार तथा अन्य वित्त संस्थानों की ब्याज देयता है	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात रखने वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात रखने वाली कंपनियों की संख्या
2018-19	5,005.46	1,645.16	6	3	3
2019-20	5,701.94	1,382.53	6	3	3
2020-21	6,844.49	3,470.25	7	3	4

स्रोतः रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

यह पाया गया कि तीन रा.सा.क्षे.उ.[4] में ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, लेकिन चार[5] अन्य रा.सा.क्षे.उ. में 2020-21 के दौरान ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये चार रा.सा.क्षे.उ. अपने ब्याज देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे। दि.पॉ.कं.लि. पर ₹ 3,326.39 करोड़ के ऋण के प्रति ₹ 316.01 करोड़ की ब्याज देयता थी जिसे व्यय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था लेकिन रा.रा.क्षे.दि.स. से वसूली योग्य दर्शाया गया तथा राज्य सरकार ने बदले में भारत सरकार से ऋण को बट्टे खाते में डालने का आग्रह किया, हालांकि, इसके लिए कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2021)। दि.प.नि. तथा दि.वि.नि. ने भी रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण पर ब्याज भुगतान नहीं किया था।

5.6.2 रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋणों पर अभुक्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान किए गए पांच रा.सा.क्षे.उ. के

[4] दि.ट्रां.लि., इ.पॉ.ज.कं.लि. तथा प्र.पॉ.क.लि.
[5] दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि., दि.वि.नि., दि.प.नि. तथा दि.पॉ.क.लि.

ऋणों पर ₹ 35,522.14 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर अभुक्त ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 5.7** में दर्शाया गया हैः

तालिका 5.7- रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर अभुक्त ब्याज

(₹ करोड़ में)

रा.सा.क्षे.उ. का नाम	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर अभुक्त ब्याज	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर एक वर्ष से कम समय के लिए अभुक्त ब्याज	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर 1-3 वर्षों के लिए अभुक्त ब्याज	रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों पर तीन वर्षों से अधिक के लिए अभुक्त ब्याज
इ.पॉ.जे.कं.लि.	814.30	74.59	195.86	543.85
प्र.पॉ.कं.लि.	485.64	116.20	289.21	80.23
दि.वि.नि.	18.15	3.30	6.60	8.25
दि.प.नि.	32,248.27	6,144.54	9,752.65	16,351.08
दि.पॉ.कं.लि.	1,955.78	316.01	632.02	1,007.75
कुल	**35,522.14**	**6,654.64**	**10,876.34**	**17,991.16**

स्रोतः रा.सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी तथा रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।.

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इ.पॉ.जे.कं.लि. तथा प्र.पॉ.कं.लि. ने लाभ अर्जित करने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 1,109.15 करोड़ की ब्याज राशि के भुगतान में चूक किया। दि.प.नि. के मामले में इसने न तो ₹ 11,676.14 करोड़ का मूलधन चुकाया (2007-08 से) और न ही ₹ 32,248.27 करोड़ के ब्याज (2011-12 से) का भुगतान किया।

5.7 रा.सा.क्षे.उ. का निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (नि.पूं.प.रि.) एक अनुपात है, जो कंपनी की लाभदायिकता तथा दक्षता को मापता है जिससे इसकी पूंजी नियोजित की जाती है। नि.पू.प.रि. की गणना नियोजित[6] पूंजी द्वारा ब्याज तथा करों से पहले कंपनी के अर्जन (ई.बी.आई.टी.) को विभाजित करके की जाती है। 13 रा.सा.क्षे.उ., जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान निवेश किया था **(परिशिष्ट 5.1)**, के नि.पूं.प.रि. के विवरण **तालिका 5.8** में दिए गए हैं।

तालिका 5.8: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ईबीआईटी *(₹ करोड़ में)*	नियोजित पूंजी *(₹ करोड़ में)*	नि.पू.रि. (प्रतिशत में)
2018-19	2,036.61	(-)6,198.10	(-)32.86
2019-20	2,022.62	(-)11,192.35	(-)18.07
2020-21	3,762.72	(-)15,597.80	(-)24.12

स्रोतः रा.सा.क्षे.उ. की नवीनतम वित्तीय विवरणी

[6] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + फ्री रिजर्व व अधिशेष+ दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय

यह पाया गया था कि नि.पूं.प.रि. सभी वर्षों में ऋणात्मक था, जो मुख्यत- ₹ 31,240.53 करोड़ के दि.प.नि. का ऋणात्मक पूंजी निवेश (संचित हानियां प्रदत्त शेयर पूंजी, फ्री रिजर्वस और अधिशेष तथा दीर्घावधि ऋण की कुल योग राशि से अधिक होती है) के कारण था। यदि दि.प.नि. की नियोजित पूंजी को हटा दिया जाता है तो शेष 12 रा.सा.क्षे.उ. की नियोजित पूंजी ₹ 15,642.73 करोड़ और नि.पूं.प.रि. 23.92 *प्रतिशत* थी।

5.7.2 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (इ.प.रि.) वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है यह आकलन करने के लिए कि किसी कंपनी की संपत्ति का उपयोग लाभ बनाने के लिए कितना प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इ.प.रि. की गणना, शेयरधारकों की निधि[7] से निवल आय (अर्थात करों के पश्चात निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, यदि निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों घनात्मक संख्याएं है।

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितनी निधि बच जाएगी, यदि सभी परिसंपत्तियों की बिक्री हो जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए। एक घनात्मक शेयरधारक निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक निधि का तात्पर्य देयताओं की परिसंपत्तियों से अधिक होना है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश **(परिशिष्ट 5.1)** के साथ, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित शेयरधारकों की निधि के विवरण **तालिका 5.9** में दिये गये हैं।

तालिका 5.9: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा रा.सा.क्षे.उ. में लगाई गई निधियों से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	कुल निवल आय (*₹ करोड़ में*)	शेयरधारकों की निधि (*₹ करोड़ में*)	इ.प.रि. (प्रतिशत)
2018-19	(-)3,489.59	(-)22,120.85	-
2019-20	(-)4,175.27	(-)26,292.35	**-**
2020-21	(-)3,358.75	(-)29,918.53	**-**

चूंकि, 2018-19 से 2020-21 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. के शेयरधारकों की निधि के साथ साथ निवल आय ऋणात्मक थी, इसलिए ई.प.रि. की गणना नहीं की गई थी। 2018-19 से 2020-21 के सभी वर्षों के लिए निवल आय दि.प.नि. द्वारा

[7] शेयरधारकों की निधि = प्रदत्त पूंजी + फ्री रिजर्वस - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय

अपने नवीनतम अंतिम खाते के अनुसार हानियों के कारण नकारात्मक थी, जिसने अन्य रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभों को भी समाप्त कर दिया। शेयरधारकों की निधि मुख्यतः दि.प.नि. की संचित हानियों के कारण नकारात्मक थी जो नवीनतम अंतिम खातों (2019-20) के अनुसार ₹ 44,900.52 करोड़ तक बढ़ गई थी।

5.7.3 निवेश पर रिटर्न

निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। राज्य के 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल 13 रा.सा.क्षे.उ. में निधियों की इक्विटी, ऋणों व अनुदानों/सब्सिडी के रूप में लगाया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने शेष पांच[8] रा.सा.क्षे.उ. में कोई प्रत्यक्ष निधि नहीं लगाई थी।

5.7.4 सरकारी निवेशों पर रेट ऑफ रियल रिटर्न (आर.ओ.आर.आर.)

आर.ओ.आर.आर. उस लाभप्रदता और क्षमता को मापता है जिसके साथ इक्विटी और इसी तरह की गैर ब्याज वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, उनके समय मूल्य (वर्तमान मूल्य (पी.वी.)) के समायोजन के बाद, रिटर्न की पारंपरिक दर की तुलना में महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे ऐतिहासिक लागत पर गिने जाने वाले ऐसे सभी निवेशों के योग से कर देने के बाद लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

13 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के आर.ओ.आर.आर. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गईः

- रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान तथा रा.सा.क्षे.उ. को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए सब्सिडी के रूप में वास्तविक निवेश को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[9] के लिए सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर का व.मू. निकालने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में लिया गया क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न के न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया था।
- रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की आर.ओ.आर.आर. गणना के उद्देश्य से,

[8] दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे., दि.अ.से.लि. तथा दि.लि.लि., दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. की सहायक कंपनियां है, जिसने उनकी पूंजी में अंशदान किया था। इसके अतिरिक्त, इं.क.सि.इं.लि.के मामले में दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि., टी.सी.आई.एल. तथा अन्य दो कम्पनियों ने पूंजी लगाई थी।

[9] सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर को, संबंधित वर्ष के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखा से लिया गया था।

2002-03[10] से लेकर 2020-21 तक की अवधि को इन 13 रा.सा.क्षे.उ. में 31 मार्च 2002 तक निवेश को 2002-03 की शुरूआत में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के व.मू. के रूप में माना गया है।

2002-03 से 31 मार्च 2021 तक, 13 रा.सा.क्षे.उ. से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के आर.ओ.आर.आर. की समेकित स्थिति **तालिका 5.10** में इंगित है।

तालिका 5.10: 2002-03 से 2020-21 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश के वर्ष-वार विवरण तथा सरकारी निधियों का आर.ओ.आर.आर.

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचारित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन व प्रशासनिक व्ययों के लिए अनुदान तथा सबसिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों के खर्च की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन/ घाटा(-)
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix={vii∗ (1+ viii)/ 100}	x={viii∗vii)/100}	xi
2002-03	183.06[11]	324.41	0.00	0.20	324.61	507.67	11.17	564.38	56.71	-1872.94
2003-04	564.38	0.00	0.00	0.20	0.20	564.58	10.65	624.70	60.13	-534.27
2004-05	624.70	0.00	0.00	0.20	0.20	624.90	10.34	689.52	64.62	-1375.28
2005-06	689.52	0.00	0.00	130.87	130.87	820.39	8.87	893.16	72.77	-1859.78
2006-07	893.16	3.11	0.00	42.07	45.18	938.34	9.35	1026.07	87.73	-864.09
2007-08	1026.07	4471.80	0.00	33.56	4505.36	5531.43	9.84	6075.73	544.29	-1749.46
2008-09	6075.73	715.19	0.00	19.25	734.44	6810.17	9.90	7484.37	674.21	-1672.67
2009-10	7484.37	1128.25	0.00	96.25	1224.50	8708.87	9.52	9537.96	829.08	-1788.68
2010-11	9537.96	464.00	0.00	402.98	866.98	10404.94	9.10	11351.79	946.85	-1557.81
2011-12	11351.79	665.48	40.00	764.59	1470.07	12821.86	9.77	14074.55	1252.70	-1969.18
2012-13	14074.55	498.55	50.00	1310.54	1859.09	15933.64	9.73	17483.98	1550.34	-1775.75
2013-14	17483.98	745.00	1.00	1409.70	2155.70	19639.68	9.21	21448.50	1808.81	-2034.69
2014-15	21448.50	-1.15	7.00	1438.75	1444.60	22893.10	8.59	24859.62	1966.52	-942.51
2015-16	24859.62	0.00	0.00	1416.93	1416.93	26276.55	8.54	28520.56	2244.02	-2049.81
2016-17	28520.56	0.00	0.00	1792.66	1792.66	30313.22	8.65	32935.32	2622.09	-2867.88
2017-18	32935.32	0.00	0.00	2078.18	2078.18	35013.50	8.58	38017.66	3004.16	-2895.56
2018-19	38017.66	0.00	0.00	1890.95	1890.95	39908.61	8.64	43356.71	3448.10	-3489.59
2019-20	43356.71	4.80	0.00	2162.44	2167.24	45523.95	8.14	49229.60	3705.65	-4175.27
2020-21	49229.60	0.00	0.00	2639.68	2639.68	51869.28	7.04	55520.88	3651.60	-3358.75
कुल		9019.44	98.00	17,630.00	26,747.44					

स्रोतः रा.सा.क्षे.उ. तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित वर्षों के वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी

इन 13 रा.सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश 2002-03 में ₹ 507.67 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 9,202.50 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2021 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेशों का व.मू.

[10] रा.सा.क्षे.उ. से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

[11] वर्ष 2001-02 तक 13 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए निवेश का अंतिम शेष।

₹ 55,520.88 करोड़ परिकलित किया गया। तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनियों का कुल अर्जन 2002-03 से 2020-21 तक की पूरी अवधि के दौरान ऋणात्मक रह गया है। इसका कारण यह था कि दि.प.नि. को हुए नुकसान (1996-97 में स्थापना के बाद से घाटे में) मुख्य रूप से अन्य रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ समाप्त होने के कारण थे।

5.8 रा.सा.क्षे.उ. में हानियों का होना

5.8.1 हानियाँ हुई

सात[12] रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2021 के अंत में हानियाँ हुई थी। उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ तथा 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 6,162.64 करोड़ हो गई जैसा कि **तालिका 5.11** में दिया गया है।

तालिका 5.11: रा.सा.क्षे.उ. का विवरण जिनमें हानियाँ हुई

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[13]
2018-19	11[14]	4,386.79	-32,499.28	-29,436.93
2019-20	7[15]	5,294.16	-38,741.28	-36,685.71
2020-21	7[16]	6,162.64	-44,889.77	-42,834.20

वर्ष 2020-21 के दौरान, इन सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 6,162.64 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 6,147.06 करोड़ (99.75 *प्रतिशत*) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम को हुई थी। हानियों के कारण निम्नलिखित हैं:

क. दि.प.नि.:

दि.प.नि. द्वारा उठाई गई हानियाँ मुख्य रूप से नवम्बर 2009 से किराए में संशोधन न होना, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी योजनागत और गैर योजनागत ऋणों पर ब्याज के बोझ के कारण थी। परिणामस्वरूप, दि.प.नि. ना तो रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ऋण चुकाने की स्थिति में है (2007-08 से) ना ही उस पर ब्याज चुकाने की स्थिति में है (2011-12 से)। इसे 2011-12 के बाद से

---

12 शा.पु.वि.नि. ने 2019-20 में कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं की अतः, इसे हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. में नहीं माना गया।

13 निवल मूल्य का अर्थ है कुल प्रदत्त शेयर पूंजी तथा फ्री रिजर्व व अधिशेष का जोड़, घटा संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय। फ्री रिजर्व का अर्थ है लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाता से बने सभी रिजर्वस, परन्तु इसमें परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन में से उत्पन्न रिजर्वस तथा मूल्यह्रास प्रावधान, का राईट बैक शामिल नहीं है।

14 दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. की चार सहायक कंपनियां, शा.पु.वि.नि., दि.प.नि., एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी, इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.वि.नि., दि.रा.औ.अ.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि. ।

15 दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि. की चार सहायक कंपनियां, दि.प.नि., दि.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि.

16 दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार सहायक कंपनियां, दि.प.नि., दि.वि.नि. तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि.।

रा.रा.क्षे.दि.स., दि.प.नि. को वित्तीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान (स.अ.) जारी किया। दि.प.नि. ने 2011-21 के दौरान ₹ 14,241 करोड़ की राशि का स.अ. प्राप्त किया था। 2011 से पहले, दि.प.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. से ₹ 11,676 करोड़ का ब्याज सहित ऋण प्राप्त किया था। मार्च 2020 तक, संचित अभुक्त ब्याज राशि ₹ 32,248 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 44,900 करोड़ की कुल संचित हानियों (मार्च 2020 तक) का 72 *प्रतिशत* अर्थात् ₹ 32,248 करोड़ संचित अभूक्त ब्याज के कारण था।

दि.प.नि. ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु दिल्ली सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (2016) जो अभी भी निर्णय हेतु लंबित था (दिसम्बर 2021)।

क. ₹ 511 करोड़ के बकाया योजना ऋण को इक्विटी में बदलना।

ख. ₹ 11,165 करोड़ के बकाया गैर योजना ऋण को स.अ. में बदलना तथा ₹ 16,330.59 करोड़ के संचित ब्याज (31 मार्च 2017 तक) को स.अ. में बदलना।

ग. किरायों का संशोधन क्योंकि नवम्बर 2009 से कोई संशोधन नहीं हुआ था।

ख. दि.वि.नि.

दि.वि.नि. द्वारा उठाई गई हानियां 31.03.2020 तक ₹ 20.19 करोड़ के अपने गैर-निष्पादित संपत्ति (गै.नि.स.) के कारण थी, जो कुल वितरित ऋण का 41.83 *प्रतिशत* था, बैंक ऋणों पर 6 *प्रतिशत* की तुलना में 10 *प्रतिशत* पर निधियों का बहुत अधिक लागत, सिडबी से पुनर्वित्त की समाप्ति तथा ₹ 33 करोड़ के रा.रा.क्षे.दि.स. से ऋण पर ब्याज की उच्च दर के कारण व्यापार में कमी आई है।

ग. अन्य

दि.रा.औ.अ.वि.नि. के घाटे में चल रही चार सहायक कंपनियों दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेंवलेपमेंट लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. लीकर लिमिटेड तथा दि.रा.औ.अ.वि.नि. अनुरक्षण सेवाएं लिमिटेड को 2011 में ₹ एक लाख के निवेश के साथ लाभप्रदता तथा धन वृद्धि के लिए बनाया गया था। एक[17] को छोड़कर (2012-13 से 2014-15 के दौरान) इन कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया और अब तक निष्क्रिय रही (दिसम्बर 2021)। सितम्बर 2014 में, इन सहायक कंपनियों की संपत्ति एवं देयताओं को दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। 2012-13 से 2019-20

[17] दि.ए.लि.

के दौरान, इन कंपनियों ने नगण्य आय अर्जित किया। लेकिन लेखापरीक्षा शुल्क तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फीस दाखिल करने पर वार्षिक खर्च किया। 2014-15 में दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा संपत्ति और देयताओं के अधिग्रहण के बावजूद, यह अब तक इन कंपनियों को बंद करने का निर्णय लेने में विफल रहा तथा इन कंपनियों के गैर-कार्यान्वयन के कारण इन कंपनियों को बनाने का उद्देश्य अधूरा रह गया जिसके परिणामस्वरूप दि.रा.औ.अ.वि.नि. को ₹ 20.64 लाख की हानि हुई।

5.8.2 रा.सा.क्षे.उ. में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक ₹ 46,003.49 करोड़ की संचित हानियों वाले तीन रा.सा.क्षे.उ. थे, जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने इक्विटी तथा ऋणों का निवेश किया था। इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में दो रा.सा.क्षे.उ. (दि.प.नि. तथा दि.वि.नि.) की हानियाँ क्रमशः ₹ 6,147.06 करोड़ तथा ₹ 12.38 करोड़ थी तथा एक[18] रा.सा.क्षे.उ. में हानि नहीं हुई थीं, हालांकि अपने नवीनतम अंतिम खातों (2019-20) के अनुसार उनकी संचित हानि ₹ 1,100.32 करोड़ थी ।

इन तीन रा.सा.क्षे.उ. में से दो[19] का निवल मूल्य संचित हानियों से पूरी तरह समाप्त हो गया था तथा उनका निवल मूल्य ऋणात्मक था। 31 मार्च 2021 तक इन दो रा.सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य ₹ 2,728.90 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 43,271.94 करोड़ था। दो रा.सा.क्षे.उ., जिसकी पूंजी का क्षरण हो चुका था, में से दि.पॉ.क.लि. ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 126.87 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इन दो रा.सा.क्षे.उ. का 31 मार्च 2021 तक ₹ 12,341.42 करोड़ के सरकारी ऋण बकाया थे।

5.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा (7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सरकारी कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है। नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा संचालित करने तथा उस पर टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का अधिकार है। विधि शासित निगमों के लिए आवश्यक है कि उनके लेखे नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए जाए तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए।

[18] दि.पॉ.कं.लि.
[19] दि.पॉ.कं.लि. तथा दि.प.नि.

5.10 नि.म.ले.प. द्वारा सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी के मामले में नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के लिए सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को 2020 के दौरान नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया गया था।

5.11 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखाओं की सामयिक प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी की कार्यप्रणाली एवं कार्य पर वार्षिक प्रतिवेदन उसके वार्षिक आम बैठक[20] (वा.आ.बै.) के तीन महीनों के भीतर तैयार किए जाने होते हैं। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों सहित अथवा उसके पूरक के रूप में विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में समान प्रावधान मौजूद है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वा.आ.बै. आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक वा.आ.बै. और अगली बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को कथित वा.आ.बै. में उनके विचारार्थ रखा जाना होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित संबंधित व्यक्तियों पर दण्ड तथा कारावास जैसे जुर्माने के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

---

[20] पहली वा.आ.बै. के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर तथा अन्य किसी मामले में वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से छः महीने के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक की जाएगी।

30 नवम्बर 2021 को विभिन्न रा.सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे बकाया थे, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में है।

5.11.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने की सामयिकता

31 मार्च 2021 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की परिधि के अंतर्गत 16 सरकारी कंपनियां थी। हालांकि, केवल सात सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 30 नवम्बर 2021[21] तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए तैयार तथा प्रस्तुत किये थे। नौ सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकायों के विवरण **तालिका 5.12** में दिये गये है।

तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों के लेखों की प्रस्तुति में बकाया के विवरण

विवरण		संख्या
कंपनियों की संख्या जिनके 2020-21 के लेखे देय थे		16
कंपनियों की संख्या जिन्होंने 30 नवम्बर 2021 तक नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए लेखे तैयार एवं प्रस्तुत किए		07
बकाया लेखों की संख्या (नौ सरकारी कंपनियां)		14
बकायों का ब्रेक अप	एक वर्ष के लिए बकाया (2020-21)	08[22]
	दो वर्ष (2019-20 तथा 2020-21)	-
	तीन वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1[23]

प्र.पॉ.नि.लि., दि.रा.ना.आ.नि.लि., दि.प.अ.वि.नि.लि., इं.पॉ.जे.क.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे.लि. तथा जि.दि.लि. के लेखें 2020-21 के लिए बकाया थे तथा दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि. के लेखें छः वर्षों (2015-16 से 2020-21) के लिए बकाया थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने उस अवधि के दौरान दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि. में ₹ 19.56 करोड़ (इक्विटीः ₹ 4.80 करोड़, ऋणः ₹ 6.00 करोड़ तथा अनुदानः ₹ 8.76 करोड़) का निवेश किया, जब उसके लेखें बकाया थे। लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के अभाव में, दि.अ.जा.वि.वि.नि.लि. में सरकारी निवेश लेखापरीक्षा तथा राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में सामयिकता

दो सांविधिक निगमों (दि.वि.नि. एवं दि.प.नि.) की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। वर्ष 2020-21 के लिए दोनों सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा 30 नवम्बर 2021 तक तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किये गए थे। दि.प.नि. द्वारा 2020-21 के दौरान अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं देने के

[21] भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 23 सितम्बर 2021 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों की वा.आ.बै. रखने की तारीख 30 नवम्बर 2021 तक बढ़ाई गई।

[22] प्र.पा.कं.लि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.अ.वि.नि., इं.पॉ.ज.क.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.ए.लि., दि.क्रि.आ.डे.लि., तथा जि.दि.लि.।

[23] 2015-16 से 2020-21 तक दि.अ.जा.वि.वि.नि. के छः लेखे बकाया थे।

बावजूद रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 2,575.24 करोड़ का निवेश किया। दि.प.नि. के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह लेखापरीक्षा एवं राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

5.12 नि.म.ले.प. की निरीक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढ़ांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणी तैयार करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। सांविधिक निगमों के लिए आवश्यक है कि वे अपने लेखे नि.म.ले.प. के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत तैयार करें।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा संचालित करते है तथा अपनी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार प्रस्तुत करते है।

नि.म.ले.प. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षण की भूमिका अदा करता है जिसका समग्र उद्देश्य है कि सांविधिक लेखापरीक्षक अपने निर्धारित कार्यों को ठीक से और प्रभावी ढंग से करें। इस कार्य का निर्वहन, शक्ति के प्रयोग द्वारा किया जाता हैः

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक अथवा टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में मुख्य उत्तरदायित्व, एक निकाय के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा नि.म.ले.प. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों की समीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वा.आ.बै. में रखने के लिए सूचित किया जाता है।

5.13 नि.म.ले.प. की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक 12 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2020-21 तथा पूर्व वर्षों के लिए 14 वित्तीय विवरणियाँ प्राप्त की गई। इसमें से, नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा में रा.सा.क्षे.उ. के 10 वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई तथा शेष चार वित्तीय विवरणों के संबंध में इसकी समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया था। समीक्षा के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तृत है।

5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी नि.म.ले.प. की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 और पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद नि.म.ले.प. ने 11 सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा को संचालित किया। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां जारी की गयीं जिसका वित्तीय प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं के साथ-साथ लाभप्रदता पर ₹ 25.29 करोड़ था, का विवरण **तालिका 5.13** तथा **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका 5.13: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	दि.प.अ.वि.नि. (2019-20)	विज्ञापन एजेंसियों से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के सम्मिलन की कमी के कारण दि.प.अ.वि.नि. के लाभ को ₹ 1.06 करोड़ कम बताया गया। 2018-19 के दौरान समान टिप्पणी जारी की थी। लेखों में ₹ 4.83 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज के प्रावधान की कमी के कारण दि.प.अ.वि.नि. का लाभ ₹ 4.83 करोड़ से अधिक बताया गया। 2016-17 से 2018-19 के दौरान समान टिप्पणी जारी की थी। दि.प.अ.वि.नि. ने ₹ 13.87 करोड़ के बस क्यू शेल्टरों से अर्जित राजस्व पर दिल्ली नगर निगम के 50 *प्रतिशत* हिस्से के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया था, जिसके परिणास्वरूप अन्य वर्तमान देयताओं को कम करके तथा लाभ को ₹ 13.87 करोड़ से अधिक बताया गया है। लाभ को ₹ 74.39 लाख अधिक बताया गया था क्योंकि आर्बिट्रेटर/अदालत के आदेशानुसार वॉच एंड वार्ड सेवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक प्रावधान को ₹ 74.39 लाख कम बताया गया है।
2	इं.क.सि.इं.लि. (2019-20)	परिसर के लिए दि.रा.औ.अ.वि.नि. को देय किराया हेतु प्रावधान की कमी तथा उस पर देय ब्याज राशि ₹ 1.69 करोड़ के कारण इं.क.सि.इं.लि. का लाभ ₹ 1.69 करोड़ अधिक बताया था।
3	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2013-14)	2009-14 की अवधि के लिए विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों और यांत्रिक उपकरणों के लिए व्यय की बुकिंग की कमी के कारण दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने लाभ को ₹ 113.19 लाख से अधिक बताया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹ 130.86 लाख से कम तथा वर्तमान परिसंपत्तियों (अग्रिम) को ₹ 17.67 लाख से अधिक बताया है। दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने उन लाभार्थियों, जिनकी या तो मृत्यु हो गई थी या उनके ठिकाने उपलब्ध नहीं थे, के देय ₹ 4.08 करोड़ के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया तथा लाभ को ₹ 4.08 करोड़ से अधिक बताया गया। 2012-13 के लेखों पर भी समान टिप्पणी की गई थी।

तालिका 5.14: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्रम सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	दि.पॉ.क.लि. (2019-20)	• दि.पॉ.क.लि. ने लेखांकन नीति सं. 10 एवं इंड एएस 7 का उल्लंघन करते हुए बैंक बैलेंस तथा नगद एवं नगद समकक्ष के बजाय जमा के तहत 3 महीने से कम मेच्युरिटी वाले ₹ 35.01 करोड़ के सावधि जमा को शामिल किया है।
2	दि.अ.जा.वि.वि.नि. (2013-14)	• दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्या./अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु विभाग से प्राप्त ऋणों को स्वीकृत आदेशों की शर्तों के विरूद्ध अनुदान के रूप में व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप सहायता अनुदान को अधिक बताया गया एवं गैर जमानती ऋण को ₹ 14.46 करोड़ से कम बताया गया है। 2012-13 के लेखों पर भी समान टिप्पणी की गई थी।

5.13.3 सांविधिक निगम जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक हैं

सांविधिक निगम, जहां नि.म.ले.प. एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, के लेखों पर नि.म.ले.प. द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिसका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता और साथ ही परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 786.23 करोड़ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

सांविधिक निगमों के लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव
दिल्ली परिवहन निगम (2018-19)

- 31 मार्च 2019 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ग्रेच्युटी देयता के लिए ₹ 798.11 करोड़ का प्रावधान था लेकिन दि.प.नि. ने केवल ₹ 58.63 करोड़ बुक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 739.48 करोड़ की सीमा तक की ग्रेच्युटी के प्रावधान को कम बताया गया।
- दि.प.नि. ने सेवा कर विभाग द्वारा उठाया गया ₹ 5.07 करोड़ के सेवा कर हेतु देयता नहीं दर्शायी थी, जिसके लिए निगम द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि, अन्य देयताओं एवं व्यय को ₹ 5.07 करोड़ से कम बताया गया था।
- दि.प.नि. ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (दि.प.प.वि.नि.) से हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बसों की पार्किंग के लिए बतौर किराए/बिजली/पानी शुल्क के ₹ 2.40 करोड़ के प्राप्य को दिखाया था। हालांकि निगम ने पार्किंग शुल्क माफ करने पर सहमति जताई और बिजली, सुरक्षा एवं पानी शुल्क हेतु ₹ 9.33 लाख का बिल उत्थित किया , लेकिन ₹ 2.31 करोड़ के पार्किंग शुल्क को खारिज नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान संपत्तियों को अधिक बताया गया तथा व्यय एवं हानि को ₹ 2.31 करोड़ से कम बताया गया है।
- दि.प.नि. ने आई.पी. पावर स्टेशन पर सुरक्षित पार्किंग के संबंध में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को ₹ 2.07 करोड़ का अग्रिम दिया था। ये अग्रिम नौ वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन इस संबंध में संदिग्ध अग्रिमों का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों को

अधिक बताया गया और व्यय एवं हानि को ₹ 2.07 करोड़ से कम बताया गया है।

- दि.प.नि. ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार ग्रेच्युटी की सीमा को ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख करने के कारण ग्रेच्युटी के अंतर के रूप में ₹ 9.33 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी फंड के योगदान के साथ-साथ निवल हानि को ₹ 9.33 करोड़ से कम बताया गया है।
- दि.प.नि. ने मेसर्स ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रकचर एंड सर्विसेज लिमिटेड पर जुर्माना लगाया था, जिसके प्रति दिवाला कार्यवाही शुरू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों को अधिक बताया गया तथा निवल हानि को ₹ 15.67 करोड़ से कम बताया गया।

दिल्ली वित्त निगम (2019-20)

- दि.वि.नि. ने दि.वि.नि. के कर्मचारी पेंशन ट्रस्ट के लिए ₹ 12.30 करोड़ के साथ ब्याज की देयता दर्ज नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं एवं हानि को उसी हद तक कम बताया गया है।

5.14 लेखांकन मानकों के प्रावधान के अनुपालना की कमी

उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 तथा 9 से 29 निर्धारित किया। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि पांच रा.सा.क्षे.उ. ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था जैसा कि **तालिका 5.15** में वर्णित है।

तालिका 5.15: सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित लेखा मानकों (एएस)/ भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) का गैर अनुपालन

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखों का वर्ष	एएस/इंड-एएस की संख्या
1	इंद्रप्रस्थ पॉवर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड	2019-20	इंड एएस 109
2	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	एएस-19, एएस-29, एएस-3, एएस-5
3	प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड	2019-20	इंड एएस 109, 24, 114,116
4	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड	2012-13 तथा 2013-14	एएस-15

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, नि.म.ले.प. ने पाया कि **तालिका 5.16** में वर्णित निम्नलिखित रा.सा.क्षे.उ. ने भी लेखा मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था, जिसे उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित नहीं किया गया थाः

तालिका 5.16: लेखा मानकों/इंड एएस पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	एएस/इंड एएस	टिप्पणी
1	इं.पॉ.जे.कं.लि. (2019-20)	इंड एएस-115 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	• कंपनी ने राजस्व को पहचानने के लिए उपयोग की गई विधि तथा इस विधि का उपयोग क्यों किया गया का स्पष्टीकरण का खुलासा नहीं किया था जो इंड एएस 115 की आवश्यकता का उल्लंघन में वस्तु या सेवाओं के हस्तानांतरण का विश्वसनीय चित्र प्रदान करता है।
2	दि.पॉ.कं.लि. (2019-20)	इंड एएस-39 वित्तीय दस्तावेजः मान्यता तथा माप	• इंड एएस-39 के उल्लंघन में, दि.पॉ.के.लि. ने आकस्मिक देयताओं के तहत प्रकट किए गए 19 दावों के संबध में आकस्मिक देयता की प्रकृति के संक्षिप्त विवरण को उजागर नहीं किया था।
3	दि.प.नि. (2018-19)	एएस-12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एएस-15 कर्मचारी का लाभ	• विशिष्ट अचल संपत्तियों के लिए पूंजीगत कार्यों (बस डिपों/टर्मिनलों का निर्माण) के लिए सहायता अनुदान के व्यवहार पर लेखांकन नीति लाभ और हानि लेखा में निगम की आय के रूप में परिलक्षित होती है जो लेखांकन मानक 12 की आवश्यकता के उल्लंघन में थी। 2006-07 से 2018-19 की अवधि के दौरान, निगम ने बस डिपो के निर्माण के लिए उपयोग किए गए अनुदान के कारण ₹ 159.31 करोड़ की आय दिखाई थी। • निगम ने लेखांकन मानक-15 की आवश्यकता के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं बनाया।
4	दि.प.अ.वि.नि. (2019-20)	एएस-3 कैश फ्लो विवरणियां	• वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (दि.इं.म.मॉ.ट्रां.सि.) को अ.रा.ब.ट. के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए पूंजीगत अग्रिम के रूप में ₹ 2.61 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। इस राशि को निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो के बजाय वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो के तहत गलत तरीके से शामिल किया गया था जो कि लेखांकन मानक-3 का उल्लंघन था।

5.15 प्रबंधन पत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्धमों के वित्तीय विवरणियों पर सामग्री अवलोकन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत नि.म.ले.प. द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नि.म.ले.प. द्वारा देखी गयी अनियमितताओं या कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से भी प्रबंधन को सूचित किया गया था। वर्ष के दौरान, नि.म.ले.प. ने 10 रा.सा.क्षे.उ. को प्रबंधन पत्र जारी किये। इन प्रबंधन पत्रों में प्रबंधन द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता वाली कमियों को उजागर किया गया था।

5.16 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2021 तक, निगमन (2011) के बाद से चार निष्क्रिय सरकारी कंपनियां थी, जिसके लिए दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा उनके संचालन/बंद करने के लिए कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं की गई थी।
- वर्ष 2020-21 में 10 लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित ₹ 2,809.65 करोड़ के कुल लाभ में से 96.30 *प्रतिशत* का योगदान पांच[24] रा.सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. ने रा.रा.क्षे.दि.स. को लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया।
- हानि वाले सात रा.सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई ₹ 6,162.64 करोड़ की कुल हानि में से, दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अकेले ₹ 6,147.06 करोड़ की हानि का योगदान किया था।
- दि.अ.जा.वि.वि.नि. ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और इसके लेखें छः वर्षों से बकाया थे। इसके अलावा, आठ सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के 2020-21 के लेखों को 30 नवम्बर 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, रा.सा.क्षे.उ. के वित्तीय विवरणों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 811.52 करोड़ था।

[24] दि.रा.औ.अ.वि.नि.लि., प्र.पॉ.कं.लि., इं.पॉ.ज.कं.लि., दि.ट्रां.लि. तथा दि.पॉ.कं.लि.

5.17 अनुशंसाएँ

राज्य सरकारः

- दि.रा.औ.अ.वि.नि. की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियों के बंद/संचालन पर निर्णय करें;
- रा.सा.क्षे.उ. की वित्तीय विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;
- तय की गई लाभांश नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करें; तथा
- दि.प.नि. को व्यवहारिक बनाने के लिए योजना तैयार करें;

नई दिल्ली **(समर कांत ठाकुर)**
दिनांकः 20 मई 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांकः 24 मई 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**